JHT

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2013/फाल्गुन 17, 1934
No. 130] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2013/PHALGUNA 17, 1934

## शहरी विकास मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013

**सा.का.नि. 164(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और प्रूफ रीडर) भर्ती नियम, 1974 और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती पद्धति विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ कार्यालय ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन-बैंड तथा ग्रेड-वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, तथा उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन— बैंड अथवा ग्रेड — वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| कनिष्ठ हिंदी अनुवादक | 34* (2013)— केलोनिवि— 19, लोनिवि रा.रा.क्षे. दि. स.—15 (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन— बैंड—2, 9300 — 34800 रू.+ ग्रेड—वेतन 4200 रू. | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक नहीं ।<br><br>टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा के पांगी उप खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की गई हो )<br>यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से है तो ऐसे मामले में आयु सीमा के अवधारण की निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए नियत अंतिम तारीख होगी। | (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य<br>या<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।<br>या<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी दोनों में एक परीक्षा के माध्यम के रूप | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा<br>टिप्पण— पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी (क) ( i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण | लागू नहीं होता | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए)<br>(i) अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग— अध्यक्ष<br>(ii) कार्यपालक इंजीनियर ( सिविल), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग — सदस्य।<br>(iii)कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग — सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य , और<br>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट या हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव<br>टिप्पणी—1— अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।<br>टिप्पणी 2— अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले | | | लिए हुए हैं<br>या ( ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड—1 (रू. 5200 — 20200 ) रूपए के साथ रू. 2800 ग्रेड में या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो<br>(ख) जिनके पास स्तंभ—7 में यथा अधिकथित सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो<br>( प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अनधिक हो) | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय–(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड के मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न किसी एक भाषा का ज्ञान । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में डिग्री/डिप्लोमा या समतुल्य । | | | | | | |
| ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक | 15* (2012)– (केलोनिवि= 15) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन– बैंड–2, 9300 – 34800 रू.+ ग्रेड–वेतन 4600 रू. | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा | प्रोन्नति द्वारा: ऐसे कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जिनकी वेतन बैंड–2 9300–34800 रू. + ग्रेड वेतन 4200 रू. श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी अनुवाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । टिप्पणी–1 जहां ऐसे कनिष्ठ | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. निदेशक (प्रशा.) – अध्यक्ष, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 2.उप निदेशक (प्रशा.) –सदस्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सहायक निदेशक (रा.भा.) – सदस्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग । | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना अपेक्षित नहीं है । |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी ली हो। टिप्पणी–2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतन मान में की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

[फा. सं. 52(2)/4/2008-एस एंड डी-(ईडब्ल्यू-2)]

अंबुज बाजपेई, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2013

**G.S.R. 164(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department, (Senior Translator and Proof Reader) Recruitment Rules, 1974 and Central Public Works Department, Subordinate Offices (Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator in the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, subordinate office, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Subordinate Offices, Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator Group 'B' post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the pay band and grade pay or Pay scale.**— The number of post, its classification and the pay band and grade pay or Pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualification, etc.**— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b)who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# SCHEDULE

| Name of the post | Number of Posts | Classification | Pay Band and Grade pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age limits for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotes | Period of Probation, if any | Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by the deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (1) Junior Hindi Translator | 34*(2013), (CPWD=19, PWD GNCTD=15) *(Subject to variation dependent on workload) | General Central Service Group B Non-Gazetted Non-Ministerial. | PB-2 ₹ 9300-34800/- Grade Pay ₹ 4200/- | Not applicable | Not exceeding 30 years.<br>Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.<br>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | (i) Master's degree of a recognised University in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of Examination at degree level.<br>or<br>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level.<br>or<br>Master's degree of a recognised University in any subject other then Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and<br>(ii) Recognized Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government Offices, including Government of India undertakings.<br><br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.<br><br>Desirable<br>(i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other-then Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.<br>(ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized university or Institute | Not applicable | Two years | By direct recruitment<br><br>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or by long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of pay band -I (Rs. 5200-20200) with grade pay of 2800 or equivalent in the parent cadre or department;<br>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.<br>(The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications) | Not applicable | Group B Departmental Promotion Committee (for confirmation):<br>(i) Superintending Engineer, Central Public Works Department - Chairman<br>(ii) Executive Engineer (Civil), Central Public Works Department - Member<br>(iii) Executive Engineer (Electrical), Central Public Works Department - Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) Senior Hindi Translator | 15*(2013) (CPWD=15) *(Subject to variation dependent on workload) | General Central Service Group B Non-Gazetted Non-Ministerial. | PB-2 ₹ 9300-34800/- Grade Pay ₹ 4600/- | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion | By Promotion:- Junior Hindi Translator in PB2 of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4200/- with five years regular service in the grade and having undergone training in hindi translation from a recognized institution. Note:1 Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note:2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission. | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :- 1. Director (Admn.) Central Public Works Department – Chairman 2. Deputy Director(Admn.), from Central Public Works Department- Members 3. Assistant Director (OL), Central Public Works Department- Member | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 52(2)/4/2008-S&D-(EW-2)]

AMBUJ BAJPAI, Under Secy.